Sixteenth Loksabha

>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of articles 15 and 16).

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

15 44 hrs